

प्रेस-विज्ञप्ति

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा वांछित/वारण्टी/अवैध असलहा/बलात्कार/पोक्सो आदि से सम्बन्धित अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरादमगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत जनपद आजमगढ़ के विभिन्न थानों द्वारा किये गये सराहनीय कार्यों का विवरण-

थाना-कप्तानगंज

अवैध तमन्चा, कारतूस व मोटरसाइकिल के साथ चार अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक-30-08.2020 को प्रभारी निरीक्षक कप्तानगंज श्री आनन्द कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर महाराजगंज रोड़ पर तेरही मोड़ से चार व्यक्तियों 1. किशन राय पुत्र रामप्रसाद राय ग्राम देवहट्टा थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ 2. जशवन्त यादव पुत्र जगदम्बा यादव ग्राम बालेपट्टी थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़, 3. संदीप रावत पुत्र सुरेश ग्राम देवहट्टा थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़, 4. सुशील पासवान पुत्र मेरू पासवान ग्राम देवहट्टा थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ को समय दो अदद तमन्चा 315 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस, एक अदद तमन्चा 303 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 303 बोर व एक अदद मोटर साइकिल सुपर स्प्लेण्डर UP 50 Q 1879 के साथ 06.10 बजे सुबह गिरफ्तार किया गया है। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर चारो अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग 1.मु0अ0सं0- 136/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम किशन राय 2.मु0अ0सं0-137/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम जशवन्त यादव 3.मु0अ0सं0-138/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम संदीप रावत 4.मु0अ0सं0-139/20 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट बनाम सुशील पासवान पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

गिरफ्तार व्यक्तियों का नाम पता व बरामदी

1. किशन राय पुत्र रामप्रसाद राय ग्राम देवहट्टा थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ (एक अदद तमन्चा व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर)
2. जशवन्त यादव पुत्र जगदम्बा यादव ग्राम बालेपट्टी थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़(एक अदद तमन्चा व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर)
3. संदीप रावत पुत्र सुरेश ग्राम देवहट्टा थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ (एक अदद तमन्चा 303 बोर)
4. सुशील पासवान पुत्र मेरू पासवान ग्राम देवहट्टा थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़

बरामदगी

एक अदद जिन्दा कारतूस 303 बोर एवं मोटर साइकिल सुपर स्प्लेण्डर नं0- UP 50 Q 1879

पंजीकृत अभियोग

- 1.मु0अ0सं0- 136/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम किशन राय, थाना- कप्तानगंज, आजमगढ़
- 2.मु0अ0सं0-137/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम जशवन्त यादव थाना- कप्तानगंज, आजमगढ़
- 3.मु0अ0सं0-138/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम संदीप रावत थाना- कप्तानगंज, आजमगढ़
- 4.मु0अ0सं0-139/20 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट बनाम सुशील पासवान थाना- कप्तानगंज, आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

प्रभारी निरीक्षक आनन्द कुमार सिंह थाना कप्तानगंज मय हमराह जनपद आजमगढ़।

थाना- दीदारगंज

दो वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्री राजदेव यादव पुत्र रामजीत यादव सा0 बिछियापुर थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ के लिखित तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 120/20 धारा 147,452,323,504,506,308 भादवि बाबत अभियुक्तगण लालचन्द्र यादव आदि 6 नफर द्वारा एक राय होकर घर में घुसकर गाली गुप्ता जान से मारने की धमकी देते हुए लाठी डंडा से मारने पीटने व जिससे मजरुब देवेन्द्र के बेहोश हो जाने के सम्बन्ध में पंजीकृत हुआ।

दिनांक-30.05.2020 को उ0नि0 अखिलेश चन्द पाण्डेय मय हमराह हे0का0 मनोज यादव का0 उमाशंकर पटेल व का0 सोनू यादव के साथ विनावर देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित अपराधी/वारन्टी क्षेत्र में मामूर था व त्योहार मुह्रम के दृष्टिगत भ्रमण शील था कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि मु0अ0सं0 120/20 से सम्बन्धित अभियुक्त शिवप्रकाश पुत्र लालचन्द्र व सतीश पुत्र स्व0 रामजीत उपरोक्त कही जाने के फिराक में बिछियापुर नहर पुलिया के पास में किसी वाहन का इन्तजार कर रहे हैं, यदि जल्दी किया गया तो पकड़ा जा सकते हैं कि मुखबीर खास की बात पर विश्वासकर मय हमराहीयान व मय मुखबीर के बिछियापुर नहर पुलिया पहुँचा कि मुखबीर एक तरफ खड़े व्यक्तियों की ओर इशारा कर हट बढ़ गया। कि हम पुलिस बालो में हिकमत अमली से एक बारगी दबिश देकर उक्त खड़े व्यक्तियों आवश्यक बल का प्रयोग करते हुये पकड़ लिया गया कि पकड़े गये व्यक्तियों से उसका नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम शिवप्रकाश पुत्र लालचन्द्र तथा सतीश यादव पुत्र स्व0 रामजीत सा0 बिछियापुर थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़ बताया कि कारण गिरफ्तारी जुर्म धारा 147,452,323,504,506,308 भादवि थाना दीदारगंज, आजमगढ़ का बताकर समय करीब 11.20 बजे मा0 सर्वोच्च न्यायालय व मा0 मानवाधिकार आयोग के आदेश निर्देश का अक्षरशः पालन करते हुए बकायदा बजाता हिरासत पुलिस में लिया गया।

पंजीकृत अभियोग:-

1- मु0अ0सं0 120/20 धारा 147,452,323,504,506,308 भादवि , थाना-दीदारगंज, आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त: 1.शिवप्रकाश पुत्र लालचन्द्र 2. सतीश यादव पुत्र स्व0 रामजीत सा0 बिछियापुर थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1-उ0नि0 अखिलेश चन्द्र पाण्डेय मय हमराह थाना- दीदारगंज, आजमगढ़

थाना- मेंहनगर

सात वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले वांछित बाल अपचारी को किया गया गिरफ्तार

दिनांक 31.07.2020 को मेहनगर थाना क्षेत्र के प्रमोद गोंड द्वारा खुद की नातिन उम्र 7 वर्ष के साथ दिनांक 31.07.20 समय करीब 14.30 बजे सत्यम यादव पुत्र रामरतन यादव व विशाल पाण्डेय पुत्र राजेश पाण्डेय द्वारा दुष्कर्म करने व करन पाण्डेय पुत्र ओमप्रकाश पाण्डेय व विशाल पाण्डेय पुत्र राजेश पाण्डेय के खडे होकर देखने के संबंध में थाने पर तहरीर दी गई। तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 110/20 धारा 376/120बी भा0द0वि0 व 5M/6 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया है जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक दुजेन्द्र कुमार सिंह के द्वारा सम्पादित की जा रही थी।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा उक्त प्रकरण को तत्काल संज्ञान में लेते हुए प्रभारी निरीक्षक मेहनगर को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। जिसके क्रम में आज दिनांक 30.08.2020 को प्रभारी निरीक्षक मेहनगर दुजेन्द्र कुमार सिंह मय हमराहियान फोर्स के मुकदमा उपरोक्त के वांछित अपचारीगण के तलाश में मामूर होकर मुकदमा उपरोक्त के वांछित अपचारी की गिरफ्तारी हेतु ग्राम फिनिहिनी मे दबिश मे मामूर था कि जरिए मुखबीर खास सूचना प्राप्त हुयी कि थाना स्थानीय पर सात वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले बाल अपचारी विशाल पाण्डेय सिंहपुर बाजार मे है तथा अपने पिता के साथ कही भागने के फिराक मे है कि त्वरित कार्यवाही करते हुए बाल अपचारी विशाल पाण्डेय उपरोक्त को सिंहपुर बाजार से गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण-अपचारी विशाल पाण्डेय से पूछताछ किया गया तो बता रहा है कि बलात्कार सत्यम यादव पुत्र रामरतन यादव के साथ मैने भी किया था जबकि मै बस खडा देख रहा था। यह घटना दिनांक 31.07.20 समय करीब 14.30 बजे की है। मै आज अपने पिता के भागने के फिराक मे था कि आपलोग द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0 110/20 धारा 376D/377/120बी भादवि व 5M/6 पोक्सो एक्ट थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अपचारीगण –

1. विशाल पाण्डेय पुत्र राजेश पाण्डेय सा0 फिनिहिनी थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- प्र0नि0 दुजेन्द्र कुमार सिंह , उ0नि0 अशोक कुमार तिवारी, उ0नि0 पंकज यादव मय हमराह थाना- मेंहनगर, आजमगढ़।

थाना-कोतवाली

लड़की को छेड़खानी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 28.08.2020 को जो ग्राम शेखपुरा में लड़की के साथ छेड़छाड़ करने के सम्बन्ध में दिनांक 29.08.20 को जो मुकदमा पंजीकृत है उसका मुल्जिम पगरा चौराहा पर खड़ा है कही भागने के फिराक में खड़ा है कि हम पुलिस वाले घेर घार कर आज दिनांक 30.08.20 को समय करीब 14.20 बजे गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है।

श्री उ0नि0 श्री मनोज कुमार सिंह चौकी प्रभारी बलरामपुर थाना कोतवाली, आगमगढ़, हे0क0 जितेन्द्र अवस्थी, का0 उमेश चन्द्र यादव द्वारा अभियुक्त संदीप चौहान पुत्र राम समुझ चौहान सा0 शेखपुरा थाना कोतवाली आजमगढ़को आज समय 14.20 बजे गिरफ्तार किया गया।

पंजीकृत अभियोग का विवरण—

1- मु0अ0सं0 –225/2020 धारा –354/506 भादवि थाना कोतवाली, आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

1- संदीप चौहान पुत्र राम समुझ चौहान सा0 शेखपुरा थाना कोतवाली आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाले टीम का विवरण –

1. श्री उ0नि0 श्री मनोज कुमार सिंह चौकी प्रभारी बलरामपुर मय हमराह थाना कोतवाली, आगमगढ़